



SAGARMALA

Deendayal Port Trust
Stores Division



Room No. 11, P.B. No. 50, A.O. Building,
Gandhidham - 370201
Phone: 02836 234114.

Enquiry Form

To,
1. M/s. India Navigation Aids, New Delhi.
2. M/s. Advance Engineering Works, New Delhi
3. M/s. Gobind Engineering Projects, G.Noida
4. M/s. Phase Electricals, Gandhidham
5. M/s. MJR Corporations, Mumbai
6. M/s. Raj Marine Engineers & Offshore Suppliers, G'dhar

Enquiry No. : ML/WK/4036/35

Date : 17 /07/2021

Opening Date: 05/08/2021

The quotation will be opened in the Office of
Dy. Materials Manager at 3 PM.

Sr. DD (EDP)

Please submit sealed and signed quotation
for below mentioned items on the terms &
conditions printed overleaf. The quotation
shall be marked with enquiry No. & Due date
for opening and shall reach before 15:00 hrs.

Yours Faithfully

[Signature]
Dy. Materials Manager
Kandla Port Trust

No.	Description of Items	Qty./ Unit	Rate without GST	GST%	Total
1	Self contained Solar Powered LED Marine lantern for channel marking buoys suitable for 3 nautical mile visual range having RED emitting colour, 4 nos solar panel fitted on four sides of lantern, 12 VDC rechargeable batteries, 15 days autonomy life and 1 year warranty	6 NOS			
2	Self contained Solar Powered LED Marine lantern for channel marking buoys suitable for 3 nautical mile visual range having GREEN emitting colour, 4 nos solar panel fitted on four sides of lantern, 12 VDC rechargeable batteries, 15 days autonomy life and 1 year warranty	6 NOS			
3	Self contained Solar Powered LED Marine lantern for channel marking buoys suitable for 3 nautical mile visual range having WHITE emitting colour, 4 nos solar panel fitted on four sides of lantern, 12 VDC rechargeable batteries, 15 days autonomy life and 1 year warranty	8 NOS			

Terms & Conditions:

1. The terms and conditions strictly as per overleaf , no counter Condition is entertained.

If you have NSIC / SSI /MSI DGS&D certificate please attach with quotation.

The Terms and Conditions have been accepted.
Stamp And Signature of the party.

क्रय संबंधी विशेष शर्तें

१. सभी पेकेजो और सूचनाओ पर उनकी क्रय आदेश संख्या तथा तारीख उद्धृत किजाये और प्रत्येक पेकेज में पेकिंग टिपण्णी होनी चाहिए।
२. रेल रसीद अथवा लोरी रसीद और बिल सीधे ही उपसामग्री प्रबंधक को तीन प्रतियों में (जिसमे रसीद स्ताम्पित पावती बाकायदा सम्मलित हो) बजे जाने चाहिए।
३. इस क्रय आदेश में समाविष्ट भंडार सामग्री के प्राप्त होने पर उसका निरीक्षण किया जायेगा और एसी कोई अथवा साडी सामग्री जो विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पायी जाएगी अथवा अन्यथा अनुपयुक्त पाई जाएगी को अस्वीकृत करने का अधिकार आरक्षित होगा।
४. सामग्रीयो को सही प्रकार से तथा उचित ढंग से पैक किया जाना चाहिए ताकि परिवहन के दौरान किसी प्रकार कि क्षति/नुकसान न हो और सामान परिवहन के जोखिमो से निरपद पहुंच जाये। सामग्री अनिवार्यतः रेलवे/ परिवहनकरता के जोखिमो पर स्पष्ट रेल रसीद/ लोरी रसीद के अनुसार बुक होनी चाहिए।
५. रेलवे रसीदे स्पष्ट रूप से पेकिंग में राखी सामग्री के लिए ही प्राप्त कि जाएँ और उन्हें "रखा बताया जाता हे" के आधार पर स्वीकार न किया जाये।
६. जिन अतिरिक्त प्रभारो का दावा हो उन सभी के लिए बिल के साथ सुसंगत वाउचर प्रस्तुतकिये जाये।
७. केवल स्विकार्य स्थिति में प्राप्त होने वाले सामग्रियों का ही भुगतान किया जायेगा।
८. भुगतान में होने वाले विलम्ब से बचने के लिए बिल में क्रय आदेश में स्वीकृत प्रभारो के सिवाय कोई अन्य प्रभार सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
९. यदि आर्डर किये गए मॉल कि आपूर्ति करने से इंकार किया गया हे और आपूर्ति कि अनुबद्ध तारीख से ३०दिनों के भीतर उसकी आपूर्ति नहीं कि गयी तो आपूर्तिकर्ताओ पर दंड लगाए जाने कि देयता के होते हुए भी जो सामान आर्डर किया गया किन्तु जिस की आपूर्ति नहीं की गई, वह उस के जोखिम पर खरीदी जाएगी और यदि कंडला पोर्ट ट्रस्ट को अधिक मूल्य देना पड़ा तो उस की वसूली आपूर्तिकर्ता से की जाएगी।
१०. आदेश में सूचित सुपुर्दगी ठेके की अत्यावश्यक शर्त हे।
११. सुपुर्दगी के विलम्ब के कारण होने वाले जुर्माने से बचने के लिए अनुबद्ध सुपुर्दगी के भीतर माल की आपूर्ति होनी चाहिए। सुपुर्दगी में विलम्ब के लिए सुपुर्दगी तारीख बढ़ाये जाने के लिए पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए अन्यथा माल अस्वीकृत कर आप के खर्च पर वापस नजा जा सकता हे। आदेश कुल मूल्य पर अधिकतम 5% के अधीन रहते हुए पद में मूल्य के 1/2% प्रति सप्ताह की दर से जुर्माना वसूल किया जायेगा।
१२. आपूर्ति से सम्बन्धित बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उस के प्रेषण दस्तावेजो सहित बिल में मांगी गयी राशी की स्ताम्पित रसीद युक्त समर्थक वाउचर भी उस के साथ प्रस्तुत होने चाहिए।
१३. काली पेन्सिल से तैयार किये गए तथा हस्ताक्षर किये बिलों को भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा।
१४. आप की निविदा में मांगे गए बिक्री कर से सम्बन्धित आप के दावे के समर्थन में एक प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए।
१५. क्रेता अलग से किसी परिवहन बीमा प्रभार की अदायगी नहीं करेगा अतः गन्तव्य स्थान तक भंडार सामग्री की सुरक्षित पहुंच होने के लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।
१६. यदि क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार नियत तारीख तक अथवा परस्पर सम्मती से बढ़ाई गई तारीख तक भंडार सामग्री कि आपूर्ति नहीं हो और यदि सामग्री आपूर्ति आदेश में उल्लेखित विनिर्देशो के अनुरूप नहीं हो तो उप सामग्री प्रबन्धक को आदेश की पूर्ण बकाया मात्र को रद्द करने और भंडार सामग्री को चूककर्ता आपूर्ति कर्ता के जोखिम और खर्च पर फिर से खरीदने का अधिकार होगा।
१७. सभी प्रकार के पत्राचार नाम के बजये पदनाम से किये जाये।
१८. यदि बैंक के माध्यम से अदायगी करना स्विकार कर लिया गया हो तो सामान भेजने के तुरंत बाद ईस कार्यालय को अग्रिम रूप से सूचना दे देनी चाहिए और साथ में बिल की प्रति, रेल रसीद, जी सी टिप्पणी के ब्योरे आपूर्ति संख्या आदि भी भेजी जानी चाहिए ताकि बैंक अदायगी करने कि व्यवस्था करने के लिए हमारी तरफ से शीघ्र कारवाई की जा सके। दस्तावेज लौटने के लिए बैंक से सूचना प्राप्ति की तारीख से कम से कम १५ दिनों का समय देना होगा। कंडला पोर्ट ट्रस्ट किसी भी स्थिति में इस अवधि में अतिशोध्य ब्याज अदा नहीं करेगा।
१९. विवाद इस आदेश संबंधित कोई भीविवाद केवल गांधीधाम न्यायालय के न्यायाधिकार के अधीन होगा।
२०. परीक्षण परिणाम असंतोष जनक होने आपूर्ति सस्विकार की जाएगी इस स्थिति में व्यय किये गए परिक्षण प्रभारो की वसूली की जायेगी।
२१. आंशिक आपूर्ति .. यदि आंशिक आपूर्ति की जाएगी तो आपूर्ति किये गए सामान के लिए ९०% की सीमा तक अदाएगी की जायेगी, और शेष १०% की राशी आदेश के अनुसार पूरी आपूर्ति हो जाने पर अदा की जाएगी। किन्तु सुपुर्दगी अवधि समाप्त होने से पहले उपर बताये अनुसार अवधि बढ़ाने की अनुमति ले ली जानी चाहिए।
२२. टूट फुट/ कमी यदि प्रेषित सामान में कोई टूट फुट/ कमी यदि पाई तो उस की सूचना उप युक्त अवधि में आपूर्ति कर्ता को दे। आपूर्ति कर्ता एसी सूचना मिलने पर सामान बदलने/उसे सुधरवाने आदि की शीघ्र व्यवस्था करने के लिए बाध्य होगा। अस्वीकृत सामान फार्म को केवात भाडा देय आधार पर और बदले में सामान मिलने पर ही लौटाया जायेगा। पैकिंग और सामान भेजने का खर्चा आपूर्ति कर्ता के मुद्दे होगा।
२३. बीज कर्म जी.वस.टी सम्बन्धी पंजीकरण संख्या स्पष्टरूप से लिखी जाये।